न्यायालय : - उपजिलाधिकारी

मण्डल :गोरखपुर , जनपद :देवरिया , तहसील :देवरिया

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202105200116375

वाद संख्या:- 16375/2022

माँ उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय बनाम सरकार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 23/06/2022

आदेश

आवेदक माँ उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय, रामपुर मुकुन्द, रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत वाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यतः यह कहा है कि ग्राम रामपुर मुकुन्द तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्या 93 रकबा 0.291–1/2 हे०ए० , आराजी संख्या 94 रकबा 0.551 हे०ए० , आराजी सख्या 95 रकबा 0.130 हे०ए० यानि कुल रकबा 0.972–1/2 हे०ए० , उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत वाद/आवेदन के माध्यम से तहसील आख्या तलब की गयी। तहसील आख्या दिनांक 05.02.2022/30.02.2022 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.05.2022 को अग्रसारित किया गया है, प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम रामपुर मुकुन्द तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्या 93 रकबा 0.291–1/2 हे०ए० , आराजी संख्या 94 रकबा 0.551 हे०ए० , आराजी सख्या 95 रकबा 0.130 हे०ए० यानि कुल रकबा 0.972–1/2 हे०ए०, भूमि पर आवासीय मकान बना है। उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

मैंने तहसील आख्या एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम रामपुर मुकुन्द तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया की उद्धरण खतौनी फ0 1427-1432 मौके का दृश्यचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उद्धरण खतौनी में आवेदक का नाम आराजी संख्या-93 व 94 व 95 में दर्ज है। आवेदक द्वारा भी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि का उपयोग पूर्णतः आवासीय रूप में किया जाता है एवं विवादित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है एवं जो भी साक्ष्य दिया गया है, वह सही एवं सत्य है। आवेदिका द्वारा न्याय शुल्क 3970/-रूपया टे०जरी चालान संख्या-3500/01/एल.900046 व सहखातेदार शुल्क 1000-/रूपया टे०जरी चालान संख्या-3500/01/एल.900050 दिनांक 09.06.2022 को जमा किया गया है। जो संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या एवं मौके के दृश्यचित्र के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा कृषि/मत्स्य, पशुपालन, बागवानी, आदि से इतर प्रश्नगत भूमि के रकबा 0.972–1/2हे0, जिसमें आवासीय मकान बनाकर काबिज है, ऐसी स्थिति में सहखातेदारो की अनापत्ति एवं तहसील की उक्त दिनांकित आख्या के आधार पर ग्राम रामपुर मुकुन्द तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्या 93 रकबा 0.291–1/2 हे०ए० , आराजी संख्या 94 रकबा 0.551 हे०ए० , आराजी सख्या 95 रकबा 0.130 हे०ए० यानि कुल रकबा 0.972–1/2 हे०ए० भूमि को अकृषिक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः तहसील आख्या दिनांक 05.02.2022/30.02.2022 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.05.2022 को अग्रसारित किया गया है, के अनुरूप ग्राम-रामपुर मुकुन्द तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला- देवरिया की खतौनी फसली 1427 लगायत 1432 वर्ष के आराजी संख्या 93 रकबा 0.291–1/2 हे०ए० , आराजी संख्या 94 रकबा 0.551 हे०ए० , आराजी सख्या 95 रकबा 0.130 हे०ए० यानि कुल रकबा 0.972–1/2 हे०ए०, भूमि जो माँ उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय का है, को कृषि, बागवानी, पशुपालन, (जिसमें कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन भी शामिल है) से इतर आवासीय महत्व की होने के उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की क्रिया में है तो वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा प्ररस्तावित गाटे के विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा साथ ही अभिलेखों में अमलदामद हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार देवरिया व उप निबन्धक देवरिया को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 23.06.2022

(सौरभ सिंह)

उप जिलाधिकारी

देवरिया।

माँ उर्मिला देवी सेवा संस्थान एवं धर्मार्थ

मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर , जनपद :देवरिया , तहसील :देवरिया
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202105200116375
वाद संख्या:- 16375/2022
माँ उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 25/06/2022

आदेश

आवेदक माँ उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय, रामपुर मुकुन्द, रामपुर कारखाना जनपद-देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत वाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यतः यह कहा है कि ग्राम मुण्डेरा तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्या 625 रकबा 0.336 हे०ए० में से रकबा 0.057 हे०ए० , उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत वाद/आवेदन के माध्यम से तहसील आख्या तलब की गयी। तहसील आख्या दिनांक 25.03.2022/30.03.2022 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.06.2022 को अग्रसारित किया गया है, प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम मुण्डेरा तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्या 625 रकबा 0.336 हे०ए० में से रकबा 0.057 हे०ए०, भूमि पर आवासीय मकान बना है। उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

मैने तहसील आख्या एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम मुण्डेरा तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया,की उद्धरण खतौनी फ० 1424-1429 मौके का दृष्टिचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उद्धरण खतौनी मे आवेदक का नाम आराजी संख्या-625 में दर्ज है। आवेदक द्वारा भी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि का उपयोग पूर्णतः आवासीय रूप में किया जाता है एवं विवादित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है एवं जो भी साक्ष्य दिया गया है, वह सही एवं सत्य है। आवेदिका द्वारा न्याय शुल्क 3970/-रूपया टे०जरी चालान संख्या-4380/09/एल.100568 व सहखातेदार शुल्क 1000-/रूपया टे०जरी चालान संख्या-4380/09/एल.100568 दिनांक 15.06.2022 को जमा किया गया है। जो संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या एवं मौके के दृष्टिचित्र के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा कृषि/मत्स्य, पशुपालन, बागवानी, आदि से इतर प्रश्नगत भूमि के रकबा 0.057 हे0, जिसमे आवासीय मकान बनाकर काबिज है, ऐसी स्थिति में सहखतेदारो की अनापत्ति एवं तहसील की उक्त दिनांकित आख्या के आधार पर ग्राम मुण्डेरा तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्या 625 रकबा 0.336 हे०ए० में से रकबा 0.057 हे०ए० भूमि को अकृषिक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः तहसील आख्या दिनांक 25.03.2022/30.03.2022 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.06.2022 को अग्रसारित किया गया है, के अनुरूप ग्राम-मुण्डेरा तप्पा पटना परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला- देवरिया की खतौनी फसली 1424 लगायत 1429 वर्ष के आराजी संख्या 625 रकबा 0.336 हे०ए० में से रकबा 0.057 हे०ए०, भूमि जो माँ उर्मिला देवी महिला महाविद्यालय का है, को कृषि, बागवानी, पशुपालन, (जिसमे कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन भी शामिल है) से इतर आवासीय महत्व की होने के उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की क्रिया मे है तो वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा प्ररस्तावित गाटे के विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा साथ ही अभिलेखो मे अमलदामद हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार देवरिया व उप निबन्धक देवरिया को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 25.06.2022

(सौरभ सिंह)
उप जिलाधिकारी
देवरिया।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) मे उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

माँ उर्मिला देवी सेवा संस्थान एवं धर्मार्थ
मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक